

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवानिवृत्त/2019/246 जयपुर,दिनांक:06-02-2020

:: संशोधन आदेश ::

श्री बंशीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी (भीलवाड़ा) के जारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 3547 दिनांक 24.09.2019 में नाम "बंशीलाल" के स्थान पर "बंशी लाल जाट" पढ़ा जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी (भीलवाड़ा)।
5. श्री बंशीलाल, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी (भीलवाड़ा) को जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ी (भीलवाड़ा)।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)